

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-8, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

11 जुलाई, 2023

अधिसूचना

यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार नीपा के एमओए और एसआर/आरआर को संरेखित करने के लिए और 6-7 सितंबर, 2018, के दौरान संस्थान का दौरा करने वाली यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है:

1.	प्रो. सुधांशु भूषण, डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान) वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. सिंह परीक्षा नियंत्रक विभागाध्यक्ष, शैक्षिक नीति विभाग एवं अध्यक्ष, एनसीएसएल	सदस्य
3.	प्रो. कुमार सुरेश, विभागाध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन विभाग	सदस्य
4.	डॉ. संदीप चटर्जी कुलसचिव	सदस्य
5.	श्री. निशांत सिन्हा वित्त अधिकारी	सदस्य

समिति इस माह के अंत तक यूजीसी समीक्षा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर एटीआर तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी ताकि इसे प्रबंधन बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

प्रति

सभी संबंधित

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - सूचनार्थ
2. सभी विभागाध्यक्ष/केन्द्र/एकक
3. कुलसचिव के निजी सहायक
4. कार्यालय आदेश फाइल